Azadi Ka Amrit Mahotsav

भीम BhIM

# राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :–प.6(29)नविवि/3/2004 जयपुर, दिनांक :– 05.06.2022

## संशोधित आदेश

राज्य सरकार द्वारा अवाप्त भूमि के मुआवजे के रूप में विकसित भूमि आवंटित करने के संबंध में जारी आदेश दिनांक 01.06.2022 के बिन्दु संख्या 3.2.2, 9.6 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित, नये बिन्दु 3.2.3 एवं 9.6,1 जोडकर तथा बिन्दु संख्या 10.2(क) को विलोपित करते हुए संशोधित आदेश जारी किया जाता है:–

**3.2.2** आपसी समझौता/सहमति से अर्जित की जाने वाली भूमि के प्रयोजन तथा आवंटन की जाने वाली भूमि के प्रयोजन के आधार पर समान डी.एल.सी. मुल्य वाली समान उपयोग की भूमि आवंटित की जायेगी अथवा निकाय की स्वयं की योजना की पट्टाशुदा भूमि के अर्जन के बदले पट्टे के समान क्षेत्रफल तक सममूल्य समान उपयोग की भूमि आवंटित की जा सकेगी।

**3.2.3** भूमि विनिमय (Exchange) का आशय सममूल्यता के आधार पर भी भूमि विनिमय माना जायेगा।

**9.6** ऐसे मामले, जिनमें बिना अवाप्ति कार्यवाही के ही खातेदार की भूमि अर्जित कर उसका उपयोग निकाय द्वारा कर लिया गया है, लेकिन उसका नकद मुआवजा अथवा भूमि के बदले भूमि खातेदार/वारिसान/हितधारी को प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे मामले को निकाय द्वारा समझौते से प्राप्त भूमि मानते हुए समान उपयोग की सममूल्य भूमि आवंटित की जायेगी।

**9.6.1** जहां खातेदार अथवा भूखण्डधारियों की सहमति के बिना ही उनकी भूमि में से मास्टर प्लान/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान सडक अथवा बिन्दु संख्या 3.2.1 में वर्णित विशिष्ट योजना में भूमि का उपयोग निकाय के द्वारा कर लिया गया हो एवं उस योजना में उक्त सडकों/विशिष्ट योजना से प्रभावित भूखण्डों का समायोजन उस योजना में नहीं हुआ हो तो उसे भी बिन्दु संख्या 9.6 की श्रेणी में मानकर खातेदार अथवा भूखण्डधारी, जैसी भी स्थिति हो, को सममूल्य भूमि आवंटित की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

5/6/22
(कुंजीलाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–**

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।

2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
5. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को अनके अधीन समस्त नगर निगम/पालिका/परिषद को निर्देश किये जाने हेतु।
8. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एन.सी.आर.।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त————————————————।
11. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
12. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम